राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 5516 /2015

राजेन्द्र कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, प्रतापगढ राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.08.2015
आदेश की दिनांक : 06.03.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री हेमन्त श्रीमाली, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री राजेन्द्र दाधीच, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का चयन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर आदेश दिनांक 05.10.1985 द्वारा किया जाकर निर्धारित अवधि में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की सेवाओं को नियमित कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के सहायक लेखाधिकारी द्वारा जारी अपीलार्थी की सेवा–पंजिका में दर्ज टिप्पणी दिनांक 01.04.1987 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को पुनःरीक्षित वेतनमान 1989 ग्राह्य किया जाकर तदानुसार सेवा–अनुलाभों की स्वीकृति जारी की गई। सेवा पंजिका में टिप्पणी दिनांक 25.01.1992 (अनुलग्नक–2 एवं 4) तथा राज्य सरकार के के आदेश अनुसार अपीलार्थी को अपनी सेवा के 9, 18 एवं 27 वर्ष पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान के योग्य माना गया। अपीलकर्ता लगातार प्रत्यर्थी विभाग के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था, लेकिन अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 25.12.2001 को एफआईआर संख्या 344/2001 दर्ज की गई थी और उस के कारण अपीलकर्ता को दिनांक 26.12.2001 को पुलिस विभाग द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद महाप्रबंधक, डीआईसी, उदयपुर के आदेश दिनांक 31.12.2001 के द्वारा अपीलकर्ता को दिनांक 26.12.2001 से निलंबित कर दिया गया और उनका मुख्यालय डीआईसी, चित्तौड़गढ़ में रखा गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 15.6.2013 के आदेश (अनुलग्नक–6) के तहत सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा पारित आदेश से

संदेह का लाभ देते हुए अपीलकर्ता को बरी कर दिया गया था। तदुपरान्त आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर द्वारा दिनांक 1.1.2014 (अनुलग्नक–7) को एक आदेश जारी किया जाकर अपीलार्थी के निलंबन आदेश को रद्द करते हुए अपीलकर्ता को सेवा में बहाल किया गया था और डीआईसी, प्रतापगढ़ में तैनात किया गया था। दिनांक 1.1.2014 के आदेश के अनुसरण में, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी विभाग के तहत अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू कर दिया। आयुक्त, उद्योग विभाग के कार्यालय द्वारा दिनांक 23.2.2015 (अनुलग्नक–8) जारी किया गया कि चूंकि अपीलार्थी को माननीय न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ दिया गया है। अतः अपीलार्थी निलम्बन काल के लिये किसी भी प्रकार की राशि/भत्ता राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि अपीलकर्ता को लंबी अवधि के लिए अपराधिक मुकदमा लंबित होने के कारण स्वयं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया था और अब सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत से बरी होने के बाद, अपीलकर्ता को उसे देय विभिन्न सेवा–अनुलाभों यथा द्वितीय चयनित वेतनमान इत्यादि से वंचित कर दिया गया है और तृतीय चयनित वेतनमान के साथ– साथ वेतनमान में संशोधन और वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि का लाभ जिसके लिए अपीलकर्ता हकदार है, लेकिन दिनांक 23.2.2015 के आदेश की मद्देनजर में, अपीलकर्ता को हस्तक्षेप अवधि के संपूर्ण सेवा लाभों से वंचित कर दिया गया और इस प्रकार अपीलकर्ता को बार– बार हानि का सामना करना पड़ रहा है। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने आदेश दिनांक 25.1.92 द्वारा अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर चयन ग्रेड की योजना निर्धारित की है। अपीलकर्ता ने 18 और 27 साल की सेवा पूरी कर ली है, लेकिन आज तक उसे प्रत्यर्थी द्वारा चयन ग्रेड का लाभ नहीं दिया गया है अपीलार्थी को नियमों के अनुसार स्वीकार्य वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ भी नहीं दिया गया है और वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन दिया है। इसलिए, प्रत्यर्थीगण ने अवैध, मनमाने ढंग से और अनुचित तरीके से काम किया है और इस प्रकार यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन है। अपीलकर्ता अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। उस अपीलकर्ता को छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया गया है, जिसका अपीलकर्ता कानून के अनुसार वास्तविक हकदार है।

2. अपीलार्थी ने इस अधिकरण से अनुतोष चाहा है कि :–

अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर प्रत्यर्थीगण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.2.2016 (ए/4) रद्द किया जावे तथा अपीलार्थी को 18 और 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर द्वितीय एवं तृतीय चयनित ग्रेड का लाभ देने के लिए निर्देशित किया जावे।

साथ ही छठें वेतन आयोग का लाभ देने और तदनुसार वेतन निर्धारण करने का निर्देश दिया जावे। वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि का लाभ भी दिये जाने के निर्देश पारित किये जावें।

3. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर बताया कि वैधानिक रूप से अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष देय नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाये।
4. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करे।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध एवं न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे तथा सक्षम प्राधिकारी पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को नियमानुसार निस्तारित करे।
6. अतः उक्त अपील उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य